मीडिया प्री-सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज संबंधी FAQ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मीडिया सर्टिफिकेशन अथवा पूर्व प्रमाणन क्या है?

नामांकन पत्र भरने की तिथि से राजनैतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों को इलेट्रॉनिक मीडिया में जारी करने से पूर्व इसका प्रमाणन राज्य स्तरीय/ जिला स्तरीय MCMC से कराया जाना आवश्यक है। राजनैतिक दलों संबंधी विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन राज्य स्तरीय समिति तथा प्रत्याशियों से संबंधित विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला स्तरीय समिति करेगी।

क्या प्रिंट मीडिया में छपने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्यक नहीं है?

उत्तर- प्रिंट मीडिया में छपने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्यक नहीं है। परन्तु मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले तक की अवधि में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी पूर्व प्रमाणन MCMC द्वारा किए जाने का प्रावधान आयोग द्वारा किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में कौन-कौन से माध्यम आयेंगे?

इसके दायरे में हर प्रकार का ऑडियो विजुअल अर्थात दृश्य-श्रव्य मीडिया आएगा, जिसके अन्तर्गत टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वेब साइट, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट आदि समस्त सोशल मीडिया तथा किसी भी स्थान पर ऑडियो अथवा वीडियो के माध्यम से प्रचार किए जाना सभी शामिल हैं। इन सब पर विज्ञापन दिखाने के पूर्व एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन आवश्यक है।

क्या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या कमेंट करने पर कार्रवाई होगी ?

हां, इस सम्बन्ध में एमसीएमसी स्वयं संज्ञान ले सकती है अथवा शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदन करने, निराकरण आदि की समय-सीमा क्या है ?

पूर्व प्रमाणन के लिए पंजीकृत राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार विज्ञापन जारी करने की तिथि के 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल के उम्मीदवार 7 दिन पूर्व अपना आवेदन एमसीएमसी को प्रस्तुत करेंगे। एमसीएमसी उसी दिन अथवा दूसरे दिन पूर्व प्रमाणन जारी करेगी।

विज्ञापन के पूर्व प्रमाणन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

इसके लिए राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा इस हेतु आवेदन, विज्ञापन की 02 प्रतियों में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, 02 प्रतियों में ट्रांस स्क्रिप्ट, विज्ञापन निर्माण में हुआ व्यय, विज्ञापन प्रसारण में लगने वाला व्यय, विज्ञापन के प्रसारित होने की आवृत्ति आदि के विवरण सहित प्रस्तुत करना होगा। साथ ही यह घोषणा-पत्र भी देना होगा कि विज्ञापन का प्रकाशन स्वयं के लिए कराया जा रहा है। प्रत्याशी की बिना सहमति के उसके विज्ञापन का प्रकाशन अपराध माना जाएगा।

क्या इलेक्ट्रानिक मीडिया में अन्तिम 48 घंटे में विज्ञापन प्रसारित करवाए जा सकते हैं?

उत्तर- नहीं।

यदि विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन नहीं कराया जाता है तो क्या कार्रवाई होगी?

विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिना प्रमाणन के चलाए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के साथ ही सर्विस प्रोवाइडर के विरूद्ध भी कार्रवाई होगी।

क्या एमसीएमसी विज्ञापनों के प्रमाणीकरण से इंकार कर सकती है?

हां, जिला स्तरीय एमसीएमसी विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन से इंकार कर सकती है, यदि वह प्रसारण के योग्य नहीं हो। समिति विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही करेगी। जिला स्तरीय एमसीएमसी के फैसले के विरूद्ध राज्य स्तरीय एमसीएमसी में अपील की जा सकती है। राज्य स्तरीय एमसीएमसी का निर्णय बंधनकारी होगा।

पेड न्यूज क्या है ?

ऐसा कोई भी राजनैतिक समाचार या विश्लेषण जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसे देकर अथवा वस्तु देकर छपवाया गया हो। यह समाचार के वेश में विज्ञापन है, जो मतदाताओं को भ्रमित करता है। जब किसी प्रत्याशी के सम्बन्ध में एक जैसा समाचार, फोटो, सामग्री छपती/ प्रसारित होती है तो वह भी पेड न्यूज हो सकती है। यह लोकप्रतिनिधित्व कानून-1951 के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध के रूप में दर्ज किया जाता है।

पेड न्यूज कितने प्रकार की हो सकती हैं?

पेड न्यूज सकारात्मक एवं नकारात्मक 02 प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक रूप में जब किसी दल या प्रत्याशी की अतिरंजित प्रशंसा की जाए तथा नकारात्मक रूप में जब उनकी निन्दा या भर्त्सना की जाए। दोनों निर्वाचन अपराध है।

पेड न्यूज की आशंका होने पर एमसीएमसी कैसे कार्रवाई करेगी?

पेड न्यूज की शंका होने पर एमसीएमसी सम्बन्धित आरओ के माध्यम से उस प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगी, जिसके सम्बन्ध में पेड न्यूज छपी है। इसके लिए 04 दिन (96 घंटे) की अधिकतम सीमा निर्धारित है। नोटिस प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रत्याशी 48 घंटे के अन्दर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। जवाब संतुष्टिजनक न होने पर एमसीएमसी उसे पेड न्यूज मानेगी। यदि 48 घंटे के अन्दर जवाब नहीं आता है, तब भी एमसीएमसी पेड न्यूज मानकर अपने निर्णय से उम्मीदवार को अवगत कराएगी।

पेड न्यूज पाए जाने पर एमसीएमसी क्या कार्रवाई करेगी?

पेड न्यूज पाए जाने पर एमसीएमसी उसके आकार/ आवृत्ति/ समय की गणना डीएवीपी/ डीपीआर दरों पर किए जाकर उसकी राशि को सम्बन्धित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़े जाने के लिए निर्वाचन व्यय टीम को भिजवाएगी।

क्या पेड न्यूज पाए जाने पर सम्बन्धित मीडिया के विरूद्ध कोई कार्रवाई होगी?

पेड न्यूज पाए जाने पर कार्रवाई के लिए एमसीएमसी इसकी सूचना प्रिंट मीडिया के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया को तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैण्डर्ड अॅथारिटी (एनबीएसए) दिल्ली को देगी।

जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर क्या इसकी अपील की जा सकती है?

जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर इसकी अपील जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के 48 घंटे के अन्दर राज्य स्तरीय एमसीएमसी में की जा सकती है। इसकी सूचना सम्बन्धित उम्मीदवार द्वारा जिला स्तरीय एमसीएमसी को देनी होगी। यदि राज्य स्तरीय एमसीएमसी से अपील रिजेक्ट होती है तो चुनाव आयोग में 48 घंटे के अन्दर उम्मीदवार द्वारा अपील की जा सकती है। चुनाव आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

एमसीएमसी के मुख्य कर्तव्य क्या हैं?

*इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित होने वाले हर राजनैतिक समाचार पर नजर रखना तथा देखना कि यह पेड न्यूज तो नहीं है। पेड न्यूज पाए जाने पर कार्रवाई करना।

*प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले हर राजनैतिक विज्ञापन की डीएवीपी/डीपीआर दरों पर उसकी राशि की गणना कर निर्वाचन व्यय टीम को भिजवाना।

*इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक राजनैतिक विज्ञापन को देखना कि इसका पूर्व प्रमाणन एमसीएमसी द्वारा कराया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं तो तदनुसार कार्रवाई करना।

*इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण करना तथा इसके व्यय की जानकारी निर्वाचन व्यय टीम को देना।

*सभी प्रकार के निर्वाचन से सम्बन्धित पेम्पलेट, हैंडबिल आदि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम, प्रकाशित प्रतियों की संख्या अंकित है या नहीं, यह देखना। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करना।

*जिले के प्रत्येक मुद्रणालय को सूचना देना कि उनके द्वारा प्रकाशित समस्त निर्वाचन प्रचार सामग्री की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला एमसीएमसी के पास जमा कराई जाए।

*मतदान के 48 घंटे की अवधि में प्रिंट मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन करना।

धन्यवाद